रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938
No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

IndiaCode

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 220 (अ).— केंद्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 4 के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा बोर्डों को जारी निदेशों से उद्भूत विवादों का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णयन बोर्ड का गठन करती है और न्यायमूर्ति एम वाई इक्बाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पूर्वत्तर हो, इसके पीठासीन अधिकारी के रुप में नियुक्त करती है ।

2. पीठासीन अधिकारी को विवाद के अंतिम निपटान तक अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन प्रति बैठक एक लाख रुपये की समेकित फीस संदत्त की जाएगी ।

3. पीठासीन अधिकारी, मामले की सुनवाई के संबंध में की गई यात्रा के लिए उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को यथाअनुज्ञेय ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते (टी ए /डी ए) का हकदार होगा ।

4. पीठासीन अधिकारी, उसको न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित विवाद के पश्चात् विवाद को तीन मास से अनधिक अवधि या ऐसी दीर्घावधि, जिस पर पक्षकार लिखित रुप में सहमत हो, के भीतर विनिश्चित करेगा ।

5. कार्यवाहियां केंद्रीय वक्फ परिषद भवन के परिसरों में संचालित की जाएंगी ।

6. केंद्रीय वक्फ परिषद इस अधिसूचना के अधीन विवाद का विनिश्चय करने के लिए ऐसा सचिवीय और अन्य स्टाफ उपलब्ध करवाएगा, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ।

7. जब तक पीठासीन अधिकारी अपने आदेश में किसी पक्षकार को उसकी समस्त फीस और व्ययों या उसके भाग को संदत्त करने का निदेश नहीं देता है, तब तक विवाद के पक्षकार न्यायनिर्णयन में उपगत उनके अपने खर्चें और व्ययों का वहन करेंगे तथा पीठासीन अधिकारी और उसके विधि या तकनीकी सलाहकार की फीस और व्ययों को बराबर हिस्से में संयुक्त रुप से संदत्त करेंगे ।

[फा. सं. 8/6/2015-वक्फ]

जे. आलम,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O.220 (E).—In pursuance of the provisions contained in sub-section (5) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby constitutes the Board of Adjudication for the purpose of deciding disputes arising out of directives issued to the Boards by the Central Waqf Council under sub-section (4) of section 9 of the said Act and appoints Justice M.Y. Eqbal, retired judge of the Supreme Court of India, as its Presiding Officer, for a period of three years with effect from the date of publication of this notification or till he attains the age of seventy years or until further orders, whichever is earlier.

2. The Presiding Officer shall be paid a consolidated fee of one lakh rupees per sitting subject to a maximum of five lakh rupees upto the final settlement of the dispute.

3. The Presiding Officer shall be entitled to such travelling allowance and daily allowance (TA/DA), as are admissible to a serving Judge of the High Court, for journey performed in connection with hearing of the case.

4. The Presiding Officer shall decide the dispute within a period not exceeding three months, or such longer period as is agreed to by the parties in writing, after the dispute is referred to him for adjudication.

5. Proceedings shall be conducted in the premises of the Central Waqf Council Bhawan.

6. The Central Waqf Council shall make available such secretarial and other staff, as may be required by the Presiding Officer, for deciding the dispute under this notification.

7. The parties to the dispute shall bear their own costs and expenses incurred in the adjudication and jointly pay in equal share the fees and expenses of the Presiding Officer and of his legal or technical adviser, if any appointed for the purpose, unless the Presiding Officer in his order, direct a party to pay all or part of his fees and expenses.

[F.No. 8/6/2015-Waqf]

J. ALAM, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.24 22:12:45 +05'30'